HINDUSTAN TIMES, Lucknow, 7.7.2020
Page No. 7, Size:(13.28)cms X (20.58)cms.

NHRC notice to UP govt over Ghaziabad fire incident

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Uttar Pradesh government taking suo motu cognizance of media reports that seven persons, including three minors, died in a candle factory fire in Ghaziabad district on Saturday.

In a press statement, NHRC spokesperson said the factory was operating illegally without adequate paperwork in an under construction house. By the time police, fire officials and locals rescued those trapped inside the building, seven people had been charred to death. The injured were admitted to Subharti Medical College, Meerut, and the cause of fire was being investigated by the authorities concerned.

"The commission has issued a notice to the chief secretary and the director general of police, UP, calling for a detailed report within four weeks on action taken against the factory owner and the delinquent officers, the status of medical treatment being provided to the injured, relief and rehabilitation provided to the aggrieved by the state government," he said.

"It is necessary for the local administration to fix the responsibility of the concerned officers, start departmental as well as the criminal proceedings against them immediately to ensure justice to the victims and their families," the spokesperson added.

The commission observed that in the news report it was mentioned that once a police team had conducted a raid at the alleged illegal factory but no action was taken by them.

The factory had been operating for a-year-and-a-half, hence it was difficult to believe that the local authorities were not aware of the said illegal unit under their jurisdiction.

"The incident indicates towards sheer negligent attitude of the civil as well as police authorities due to which several people have lost their lives and many are seriously injured. This is a case of violation of human rights," the spokesperson said.

According to the media report, the SP, rural, Ghaziabad, has informed that an FIR was reportedly registered against the factory owner and it was stated that the guilty will be arrested soon, he said.

Eyewitnesses reportedly stated that there were approximately 40 people working in the small building when the incident took place, he added.

FACTORY OWNER ARRESTED

Press Trust of India
letters@hindustantimes.com

GHAZIABAD: The Ghaziabad Police on Monday morning arrested the owner of an illegal candle-making factory in Modinagar where eight people were killed in a fire, officials said.

The blaze at the factory, located in Modinagar's Bakhrwa village, was reported around 4 pm on Sunday after an explosion that brought down the roof and gutted the building, the officials said.

The factory had stockpiled highly inflammable material used in small quantities to make special candles generally used for decorating birthday cakes, they said.

The factory owner, Nitin Chaudhary, is being questioned, Senior Superintendent of Police (SSP) Kalanidhi Naithani said.

"An FIR was registered on the basis of a complaint by local villagers. The prime suspect and owner of the factory, Nitin Chaudhary, has been arrested. He told the police that the candles were stocked in the factory and were being packed when the blaze broke out," SSP Naithani said.

The accused, who was on the run for 18 hours, is in police custody, he added.

Seven women workers and a 16-year-old boy were killed in the fire at the factory that was being run in a rented house. Another eight people were injured in the incident, the officials said.

Taking note of the incident, chief minister Yogi Adityanath had on Sunday directed district magistrate Ajay Shankar Pandey and SSP Naithani to immediately visit the spot. He had also sought a detailed report from them.

The in-charge of the police post in the area was suspended for alleged dereliction of duty and a magisterial inquiry was ordered into the incident.

The administration has announced a compensation of ₹4 lakh each for the families of the dead workers.

TRIBUNE, Chandigarh, 7.7.2020
Page No. 2, Size:(11.15)cms X (15.68)cms.

Students write to NHRC, demand fee exemption

TRIBUNE NEWS SERVICE

PATIALA, JULY 6

Students of Rajiv Gandhi National University of Law (RGNUL) filed a complaint with the National Human Rights Commission (NHRC) demanding fee exemption on the ground of losses incurred due to Covid-19 pandemic.

In their complaint to the NHRC, they said the decision of the university to collect full semester fees of ₹1.13 lakh by July 10 in one go is 'cruel, unjust and disproportionate'. They said, "The pandemic has caused huge economic stress on students' families. Also, a major proportion of fee already paid for the previous semester remain unutilised due to premature closure of campus." They have also served a legal notice to the university authorities over the issue.

Question collection of late fee

Meanwhile, Punjabi University students questioned collection of late fee by the authorities. Parents also raised the matter with the university authorities. Students associated with Punjabi University Radical Students' Organisation also raised concern over the matter. Naresh Kumar Vats, Registrar, RGNUL and Rakesh Kumar, in-charge, Finance, Punjabi University, could not be contacted despite repeated attempts.

Rahul Bhandari, Secretary, Higher Education Department, said the matter was under consideration.

HINDUSTAN, Bhagalpur, 7.7.2020
Page No. 6, Size:(12.66)cms X (18.44)cms.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान पर विभाग हरकत में

स्कूलों में अभिभावकों को बुलाकर दें पोषाहार

मिड-डे-मील

भागलपुर | वरीय संवाददाता

भागलपुर के सरकारी स्कूलों में तीन महीने से मिड डे मील की न तो राशि मिली है न ही बच्चों को अनाज मिल रहा है। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही उन्हें बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

इसके बाद मानव संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा विभाग को जारी पत्र में कहा है कि स्कूलों में अभिवावकों को बुलाकर 80 दिनों का एकमुश्त बकाया चावल दें। साथ ही शेष सामान की राशि बच्चों के खाते में भेजी जाए। लॉकडाउन शुरू होने के बाद जब स्कूल बंद हो गए तो मार्च और अप्रैल के मध्याह्न भोजन का पैसा उन्हें मिल गया लेकिन उसके बाद से तीन महीने के दौरान 80 दिनों में बच्चों को न तो राशि मिली है और न ही उन्हें अनाज दिया गया है।

खाद्यान्न और राशि वितरित करने का निर्देशः इस निर्देश के आधार पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मई में 24 दिन, जून में 30 दिन और जुलाई में 26 दिन यानी कुल 80 दिन का भोजन या राशि उपलब्ध कराया जायेगा। इसके वितरण के लिए कक्षावार रोस्टर तैयार किया जाये। रोस्टर के अनुसार नामांकित बच्चों के अभिभावक को स्कूल में बुलाकर खाद्यान्न का वितरण किया जाये। वितरण में बच्चों को नहीं आना है।

बुधवार से बंटेगा :डीपीओ डीपीओ, एमडीएम सुभाष गुप्ता ने कहा कि मंगलवार को सभी प्रधानाचार्यो को यह निर्देश भेज दिया जायेगा और बुधवार से मध्याह्न भोजन के पोषाहार का वितरण शुरू कर दिया जायेगा।

कितना मिलेगा पोषाहारः खाद्यान्न में एक से पांच कक्षा तक के बच्चों के लिए एक सौ ग्राम खाद्यान्न एवं 4.48 रुपये राशि प्रति छात्र प्रतिदिन एवं कक्षा छह से आठ तक के लिए 150 ग्राम खाद्यान्न एवं 6.71 रुपये राशि प्रति छात्र प्रतिदिन के अनुसार दिया जायेगा। इस दौरान जिनलोगों को खाद्यान्न दिया जाए उसके अगले दिन उन्हें बैंक खाते में शेष सामान की राशि निश्चित रूप से भेज दी जाए।

निर्देश

- मानव संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को भेजा पत्र
- स्कूलों में अभिवावकों को बुलाकर एकमुश्त बकाया चावल दें

80 दिनों का एकमुश्त चावल दिया जाएगा

03 महीने से बच्चों को न राशि मिली है न अनाज

शिक्षक कैसे मापेंगे मध्याह्न भोजन का पोषाहार

स्कूलों में बच्चों को पोषाहार बांटने को लेकर शिक्षक इस बाते से परेशान हैं कि वे कैसे अनाज बांटेगे। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के निर्देशों के आलोक में तीन महीने का पोषाहार बांटने की जिम्मेदारी स्कूलों को दी जा रही है। इस संबंध में प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष शेखर गुप्ता ने कहा कि आदेश में विद्यालय स्तर पर अभिभावकों में वितरित करने में शिक्षकों को परेशानी होगी। एक तो तीन महीन से रखे-रखे चावल खराब हो रहे होंगे। वहीं, चावल के मापने, उसके वितरण के लिए अतिरिक्त कर्मी या मजदूरों की व्यवस्था नहीं किया जाना खेदजनक है। शिक्षकों से चावल का मापन करवाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जानकारी हो कि विद्यालय में रसोइया के अतिरिक्त अन्य गैर शैक्षणिक कर्मी कार्यरत नहीं है।

MILLENNIUM POST, Delhi, 7.7.2020
Page No. 5, Size:(8.98)cms X (7.32)cms.

NHRC NOTICES TO HRD MINISTRY, BIHAR GOVT OVER PLIGHT OF POOR CHILDREN

NEW DELHI: The NHRC has issued notices to the Union HRD Ministry and the Bihar government over reported plight faced by poor children due to non-supply of mid-day meal in Bhagalpur in the wake of extended closure of schools during the coronavirus-induced lockdown, officials said on Monday. The National Human Rights Commission (NHRC), in a statement, observed that "apparently amid lockdown across the country, the schools are not functional and the mid-day meal has been stopped due to which poor children are forced to indulge in small jobs which not only spoil their health but also push them towards petty crimes and other anti-social activities".

AMAR UJALA, Delhi, 7.7.2020
Page No. 7, Size:(4.54)cms X (6.93)cms.

सीएस और डीजीपी को एनएचआरसी का नोटिस जारी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस हादसे में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव (सीएस) और डीजीपी को नोटिस भेजा है। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने कहा, यह आवश्यक है कि स्थानीय प्रशासन संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करे और विभागीय या आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए ताकि पीड़ितों और परिजनों को न्याय सुनिश्चित हो सके। मुख्य सचिव और डीजीपी से चार हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। एजेंसी

JANSATTA, Delhi, 7.7.2020
Page No. 8, Size:(14.91)cms X (15.31)cms.

मोमबत्ती फैक्टरी विस्फोट : मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जुलाई।

गाजियाबाद जिले की एक अवैध मोमबत्ती फैक्टरी में हुए विस्फोट के मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। इस विस्फोट में रविवार को सात मजदूरों की झुलसने से मौत हो गई थी। इनमें तीन नाबालिग थी। आयोग ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूबे के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को चार हफ्ते के भीतर आयोग को घटना का विस्तृत विवरण देना होगा।

इस हादसे की मीडिया में आई खबर का खुद संज्ञान लेते हुए आयोग ने सोमवार को कड़ा रुख दिखाया। आयोग ने कहा कि यह मानवाधिकार हनन का गंभीर मामला है। सरकार को बताना होगा कि अवैध फैक्टरी के मालिक, उसे फैक्टरी चलाने की छूट देने वाले सरकारी तंत्र के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। घायलों के उपचार की क्या स्थिति है। पीड़ित परिवारों की राहत और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जवाबदेही तय की गई या नहीं। दोषियों के खिलाफ कोई विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की गई या नहीं ?मीडिया की खबर के मुताबिक मोमबत्ती की फैक्टरी गैरकानूनी तरीके से पिछले डेढ़ साल से एक अधबने मकान में चल रही थी। इस पर एक बार पुलिस ने छापा भी मारा था पर कार्रवाई करने के बजाए मामले को रफा-दफा कर दिया। आयोग की राय है कि फैक्टरी चलने की जानकारी से पुलिस प्रशासन के लोग अनजान नहीं हो सकते। उनकी लापरवाही ने सात बेकसूरों की जान ले ली। अनेक घायल हो गए। हादसे के वक्त फैक्टरी में 40 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से कुछ ने दीवार फांद कर जान बचाई। पुलिस का कहना है कि फैक्टरी मालिक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

JANSATTA, Delhi, 7.7.2020
Page No. 2, Size:(12.98)cms X (16.35)cms.

गौतम नवलखा मामले में हाई कोर्ट का आदेश निरस्त

नई दिल्ली, 6 जुलाई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के संबंध में मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई स्थानांतरित करने से संबंधित न्यायिक रिकार्ड पेश करने का एनआइए को निर्देश देने संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश सोमवार को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी के पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट को नवलखा की जमानत याचिका पर विचार करने का अधिकार नहीं था। पीठ ने कहा कि यह मामला मुंबई की अदालतों के अधिकार क्षेत्र का था।

पीठ ने नवलखा की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट के 27 मई के आदेश में राष्ट्रीय जांच एजंसी के बारे में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को रिकार्ड से निकाल दिया। शीर्ष अदालत ने इससे पहले 27 मई के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में गौतम नवलखा को तिहाड़ जेल से मुंबई ले जाने में दिखाई गई जल्दबाजी के लिए राष्ट्रीय जांच एजंसी को आड़े हाथ लिया था।

सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को न्यायालय में सुनवाई के दौरान कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश पर जब नवलखा ने समर्पण किया तो उस वक्त दिल्ली में पूर्णबंदी था। उन्होंने कहा कि एनआइए ने बाद में मुंबई की विशेष अदालत में आवेदन करके दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद गौतम नवलखा को पेश करने के लिए आवश्यक वारंट जारी करने का अनुरोध किया। मेहता ने कहा कि इस वारंट के आधार पर नवलखा को मुंबई की अदालत में पेश किया गया और दिल्ली हाई कोर्ट को इसकी जानकारी भी दी गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पूर्णबंदी खत्म होने के बाद नवलखा को मुंबई ले जाया गया। उहोंने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजंसी के बारे में हाई कोर्ट की टिप्पणियां अनावश्यक थीं। नवलखा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट ने क्या किया था। उसने न तो कोई जमानत दी और न ही किसी तरह की राहत दी। हाई कोर्ट ने तो सिर्फ संबंधित अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था।' हालांकि, पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट को इस याचिका पर विचार ही नहीं करना चाहिए था।